पत्रांक–5/विविध/समीक्षा बैठक/33/2017/न0वि0आ0....7422(अनु0)

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

ए0 के0 रतन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी,
सभी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/नगरपालिका/अ०क्षे०स०।

राँची, दिनांक–....01/12/17

विषयः–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांकः–05.12.2017 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में आहूत 50 लाख रूपये से अधिक राशि की योजनाओं की समीक्षा बैठक के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में 50 लाख रूपये से अधिक राशि की योजनाओं की समीक्षा हेतु दिनांक–05.12.2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे बैठक आहूत की गयी है। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित नये सभागार द्वितीय तल पर आयोजित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि पूर्व माह की बैठक में लिए गए निर्णय (कार्यवाही) का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक–02.12.17 तक विभाग में प्रेषित करते हुए ससमय बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

माह नवम्बर, 17 के लिए कार्यावली की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जाता है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

30.11.17

(ए0 के0 रतन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/विविध/समीक्षा बैठक/33/2017/न0वि0आ0....7422 राँची, दिनांक– 01/12/17

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सुडा/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झाराखण्ड, राँची/परियोजना निदेशक (प्रशासन), जुडको लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.11.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/विविध/समीक्षा बैठक/33/2017/न0वि0आ0....7422 राँची, दिनांक– 01/12/17

प्रतिलिपि–सुरक्षा प्रभारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को दिनांक–05.12.2017 को समीक्षात्मक बैठक में शामिल होने वाले पदा०/कर्मियों को मंत्रालय प्रवेश की अनुमति देने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

30.11.17

सरकार के संयुक्त सचिव।

Rakesh/E/Letter-Jan-17-816

माह नवम्बर, 2017 के लिए राज्य स्तरीय बैठक की कार्यावली

1. नगर निकायों मे उपसमितियों का गठन।
2. ₹ 50.00 लाख से अधिक राशि की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा।
3. निकायवार 2015–16 की सभी मदों का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में समर्पित करना।
4. 1993 के उपरांत sewer death का प्रतिवेदन भेजना।
5. धनबाद, हजारीबाग, मेदिनीनगर की वधशालाओं की भू–उपलब्धता।
6. 13वीं वित्त आयोग की राशि से ली गई/प्रशासनिक स्वीकृत प्रदत्त परन्तु प्रारंभ नहीं की गयी योजनाओं की सूची। साथ ही, अपूर्ण योजनाओं की सूची।
7. निकायवार लाईसेंस तथा गैर लाईसेंसी मांस दुकानों की सूची तथा गैर लाईसेंसी मांस दुकानों के विरूद्ध कृत कार्रवाई का ब्यौरा।
8. प्लास्टिक पर प्रतिबंध से संबंधित दिनांक–10.03.17, 27.03.17 तथा 25.10.17 की बैठकों की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन की स्थिति।
9. सैरातों का निकायों में हस्तांतरण/अहस्तांतरित सैरातों की सूची उपलब्ध कराना। हस्तांतरित सैरातों की बन्दोबस्ती का ब्यौरा।
10. विभिन्न निकायों में लंबित भवनों के नक्शे।
11. विभिन्न निकायों में नए होल्डिंग का सर्वेक्षण तथा उन्हें जल संयोजन देने की स्थिति। पुराने holding के कर निर्धारण की स्थिति।
12. नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2018 की तैयारी के संबंध में।
13. नये स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय के गठन के संबंध में।
14. निकायवार वेन्डिंग जोन की संख्या/स्थल चयन।
15. विभिन्न योजनाओं के लिए अबतक भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु आवंटित राशि का ब्यौरा, निकाय में पड़ी अव्यहृत राशि का ब्यौरा, अधिग्रहण/क्रय की गयी भूमि का क्या उपयोग हो रहा है।
16. Water Harvesting की अद्यतन स्थिति।
17. श्वान वंशीय पशुओं का बन्ध्याकरण के लिए निकाय स्तर पर सोसाइटी का गठन।
18. Trade License issue status
19. Housing
20. SBM
21. Property Tax Action plan and Govt body property tax SAF
22. PGMS Portal पर अंकित शिकायतों का निष्पादन

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

दिनांक–31.10.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में सभी नगर निकायों की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थितिः–संलग्न। रामगढ़, छत्तरपुर, गढ़वा, मझिआंव, नगरउंटारी निकायों के पदाधिकारी अनुपस्थित थे।
2. औपचारिक स्वागत के बाद विभागीय संयुक्त सचिव द्वारा कार्यसूचीवार विषयों की समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है :

क्र०	विषय	समीक्षोपरान्त दिये गये निर्देश					
		क्र०	निकाय का नाम	प्रमंडल	वार्ड की संख्या	उप समिति का गठन	समिति के सदस्यों का नाम दीवार पर लिखने का कार्य सम्पन्न
1	उप समितियों का गठन दीवार अभिलेखन	1	धनबाद	उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल	55	51 वार्डो में	नहीं
		2	चिरकुण्डा		20	पूर्ण	पूर्ण
		3	गिरिडीह		36	पूर्ण	पूर्ण
		4	हजारीबाग		32	पूर्ण	नहीं
		5	झुमरीतिलैया		28	पूर्ण	पूर्ण
		6	कोडरमा		15	पूर्ण	पूर्ण
		7	चास		35	पूर्ण	पूर्ण
		8	फुसरो		28	08 वार्डो में	08 वार्डो में
		9	चतरा		22	17 वार्डो में	नहीं
		10	रामगढ़		32	अप्राप्त	अप्राप्त
		11	राँची	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल	53	नहीं	नहीं
		12	बुण्डू		12	पूर्ण	पूर्ण
		13	गुमला		20	पूर्ण	नहीं
		14	लोहरदगा		22	पूर्ण	पूर्ण
		15	सिमडेगा		18	पूर्ण	नहीं
		16	खूँटी		16	पूर्ण	पूर्ण
		17	दुमका	संथाल परगना	22	पूर्ण	नहीं
		18	बासुकीनाथ		10	पूर्ण	नहीं
		19	देवघर		36	20 वार्डो में	नहीं (केवल 10 में)
		20	मधुपुर		22	21 वार्डो में	नहीं (केवल 18 में)
		21	गोड्डा		20	पूर्ण	नहीं (केवल 05 में)
		22	पाकुड़		19	पूर्ण	नहीं (केवल 02 में)
		23	साहेबगंज		28	पूर्ण	नहीं
		24	राजमहल		12	पूर्ण	नहीं (केवल 07 में)
		25	बरहरवा		14	अप्राप्त	अप्राप्त
		26	मिहिजाम		18	नहीं (केवल 05 में)	नहीं (केवल 05 में)
		27	जामताड़ा		14	पूर्ण	पूर्ण
		28	चाईबासा	कोल्हान प्रमंडल	19	पूर्ण	नहीं
		29	चक्रधरपुर		23	पूर्ण	पूर्ण
		30	चाकुलिया		10	पूर्ण	नहीं (केवल 04 में)
		31	जमशेदपुर		12 जोन	पूर्ण	नहीं (केवल 05 में)
		32	मानगो		03	पूर्ण	नहीं
		33	जुगसलाई		05	नहीं (केवल 05 में)	नहीं
		34	सरायकेला		10	पूर्ण	नहीं
		35	आदित्यपुर		32	पूर्ण	पूर्ण
		36	कपाली		21	अप्राप्त	अप्राप्त

		37	मेदिनीनगर	पलामू प्रमंडल	26	पूर्ण	नहीं (केवल 20 में)
		38	हुसैनाबाद		13	नहीं (केवल 05 में)	नहीं
		39	विश्रामपुर		20	पूर्ण	पूर्ण
		40	छत्तरपुर		16	अप्राप्त	अप्राप्त
		41	गढ़वा		20	अप्राप्त	अप्राप्त
		42	मझिआंव		12	अप्राप्त	अप्राप्त
		43	नगर उंटारी		17	अप्राप्त	अप्राप्त
		44	लातेहार		12	पूर्ण	नहीं

प्रधान सचिव ने इस कार्य को प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण बताते हुए। वार्ड उप समितियों के गठन एवं दीवार लेखन का कार्य तीन दिनों में पूरा करने का निदेश दिया। इसी क्रम में प्लास्टिक उन्मूलन हेतु स्वच्छता उप समिति के प्रत्येक वार्ड में दो सदस्यों को 'सफाई मित्र' के रूप में चिन्हित कर उनका नाम अंकित करने का निदेश दिया।

2	वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकायों को स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र	(i) **नागरिक सुविधा मदः–** निम्न निकायों से 15–16 का UC **अप्राप्त** है– (1) सरायकेला (2) मझिआंव। दिनांक–03.11.2017 तक लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया। नोडल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
		(ii) **शहरी परिवहन मदः–**निम्न निकायों से 15–16 का UC **अप्राप्त** हैः– (1) विश्रामपुर, (2) गिरीडीह, (3) चिरकुन्डा, (4) फुसरो, (5) देवघर, (6) जमशेदपुर, (7) सरायकेला। निदेशित किया गया कि दिनांक–03.11.2017 तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किए जाएँ। नोडल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
		(iii) **शहरी गरीबी, उन्मूलन एवं समाज कल्याण मद** में निम्न निकायों से UC **अप्राप्त** हैः– (1) गढवा, (2) हजारीबाग, (3) कोडरमा, (4) गिरीडीह (5) चिरकुंडा, (6) फुसरो, (7) रामगढ, (8) देवघर, (9) पाकुड़, (10) दुमका, (11) साहेबगंज, (12) राँची, (13) खूँटी, (14) जमशेदपुर, (15) जुगसलाई, (16)सरायकेला, (17) आदित्यपुर, (18) चाईबासा। निदेशित किया गया कि दिनांक–03.11.2017 तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किए जाएँ। नोडल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
		(iv) **सिवरेज ड्रेनेज (नाली) मद** निम्न निकायों से UC **अप्राप्त** हैः– (1) हजारीबाग, (2)चतरा, (3) देवघर, (4) खूँटी, (5) सिमडेगा, (6) जमशेदपुर, (7) सरायकेला, (8) चाईबासा, (9) चक्रधरपुर। निदेशित किया गया कि दिनांक–03.11.17 तक उपयोगिता

		प्रमाण–पत्र समर्पित किए जाएँ। नोडल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
		(v) <u>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद</u> में निम्न निकायों से UC **अप्राप्त** है:– (1) गढ़वा, (2) हजारीबाग, (3) कोडरमा, (4) झुमरीतिलैया, (5) मिहिजाम, (6) मझिआंव, (7) फुसरो, (8) देवघर, (9) बुण्डू, (10) खूँटी, (11) गुमला, (12) जमशेदपुर, (13) जुगसलाई, (14) चाईबासा। निदेशित किया गया कि दिनांक–03.11.2017 तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किये जाएँ। नोडल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
3	वर्ष 1993 से अद्यतन Sewer Death संबंधी प्रतिवेदन	Sewer Death प्रतिवेदन (उपायुक्त स्तर से) निम्नलिखित निकायों से **अप्राप्त** है– (1) गढ़वा, (2) मझियाँव, (3) नगरउंटारी, (4) हुसैनाबाद, (5) विश्रामपुर, (6) छतरपुर, (7) चतरा, (8) झुमरीतिलैया, (9) धनबाद, (10) चिरकुण्डा, (11) गिरिडीह, (12) रामगढ़, (13) देवघर, (14) साहेबगंज, (15) मधुपुर, (16) बरहरवा, (17) राजमहल, (18) पाकुड़, (19) बासुकीनाथ, (20) मिहिजाम, (21) राँची (22) गुमला, (23) लोहरदगा, (24) जमशेदपुर, (25) मानगो, (26) जुगसलाई, (27) चकुलिया, (28) चाईबासा, (29) आदित्यपुर, (30) कपाली। निदेश दिया गया कि सभी निकाय उपायुक्त के प्रतिहस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में तीन दिनों में प्रतिवेदन प्रेषित करें। संबंधित राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी तथा CMM श्री कुणाल कुमार भी इसे सुनिश्चित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
4	वधशाला हेतु भूमि की उपलब्धता	धनबाद, हजारीबाग तथा मेदिनीनगर से भूमि हस्तांतरण की सूचना अप्राप्त है। मेदिनीनगर के संबंध में चिन्हित भूमि की अवैध जमाबंदी को रद्द करने का प्रस्ताव राजस्व विभाग में प्रेषित किया गया है। धनबाद के उप नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि विषय प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही सम्पन्न हो जाएगा। हजारीबाग के नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि इस हेतु वन भूमि चिन्हित की गयी है, जिसमें प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रधान सचिव ने 15 दिनों में वैकल्पिक निर्विवाद भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
5	13वें वित्त आयोग के अधीन **लम्बित/ अपूर्ण** योजनाओं की समीक्षा	संयुक्त सचिव के द्वारा पूर्व की बैठकों में निर्देशित किया गया कि 13वें वित्त आयोग में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त, परंतु प्रारंभ न किए गए योजनाओं की सूची तथा अपूर्ण योजनाओं की सूची प्रेषित करें, परन्तु सूची किसी निकाय से प्राप्त नहीं है। तदनुसार अविलंब सूची उपलब्ध करायें।

6941
09/11/17

6	14वें वित्त आयोग के अधीन 17–18 में ली जाने वाली योजनाओं की सूची की समीक्षा	सभी निकायों को सूचित किया कि 14वें वित्त आयोग के अधीन प्रत्येक नगर निगम में 10, प्रत्येक नगर परिषद में 06 एवं प्रत्येक नगर पंचायत में 04 'वार्ड विकास केन्द्र' निर्माण हेतु राशि दी जायेगी। उक्त केन्द्र में सहकारी बैंक की शाखा खोलकर विभिन्न करों का संग्रहण किया जा सकता है। सभी निकायों को निदेशित किया गया कि वार्डों का चयन कर, उक्त केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करें। 14वें वित्त आयोग के अधीन अब तक स्वीकृत सभी योजनाओं को नवम्बर, 2017 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
7	वैध मांस दुकानों का निबंधन/अनुज्ञप्ति निर्गत करना तथा अवैध दुकानों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई	निम्न निकायों यथा–बरहरवा, जुगसलाई, नगर उंटारी, छत्तरपुर, सरायकेला, साहेबगंज, चिरकुण्डा, कपाली, मझिआंव, लातेहार, कोडरमा ने अबतक कोई भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांस दुकानों को निर्गत नहीं किया है, जिससे इस निकायों में निबंधन/अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं हुआ है, जो खेदजनक है। निदेशित किया गया कि निकाय में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए NOC निर्गत करने की कार्रवाई करें, ताकि मांस दुकानों का निबंधन/अनुज्ञप्ति ACMO के स्तर से निर्गत हो सके। निकायों द्वारा अब तक निर्गत NOC की स्थिति निम्न प्रकार है – (1) लोहरदगा–41, (2) खूँटी–08, (3) दुमका–07, (4) गोड्डा–30, (5) पाकुड़–13, (6) मिहिजाम–31, (7) चाईबासा–40, (8) आदित्यपुर–93, (9) सरायकेला–08, (10) मेदिनीनगर–11, (11) जमशेदपुर–18, (12) गिरिडीह–04, (13) हजारीबाग–62, (14) मझिआंव–07, (15) सिमडेगा–35, (16) देवघर–38, (17) धनबाद–24, (18) मधुपुर–4, (19) लातेहार–20, (20) फुसरो–08, (21) चकुलिया–07, (22) जमशेदपुर–11, (23) हुसैनाबाद–34, (24) बासुकीनाथ–5 सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि या तो मांस दुकानों को NOC निर्गत कर निबंधन/अनुज्ञप्ति से नियमित करायें या उनके विरूद्ध समुचित कानूनी कार्रवाई करते हुए बन्द करा दिया जाए। विशेष सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मांस दुकानों को नियमित करने से व्यापार अनुज्ञप्ति/होल्डिंग टैक्स आदि के द्वारा निकाय को आय प्राप्त होगी। प्रधान सचिव ने निदेशित किया कि यदि मांस दुकानदारों से आवेदन प्राप्त नहीं हो रहें हैं तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।
8	नये स्थानीय निकायों का गठन	नये निकायों के संदर्भ में राँची से 06, धनबाद से 04, गिरिडीह से–02, हजारीबाग से 02, रामगढ़ से 01, बोकारो से 09 पूर्वी सिंहभूम से 09, प०सिंहभूम से 04 एवं लातेहार से 01 प्रस्तावित निकाय से संबंधित त्रुटिहीन प्रस्ताव उपायुक्त से दिनांक–10.11.2017 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
9	जन संवाद एवं पी०जी० पोर्टल	संयुक्त सचिव द्वारा निकाय के पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री जन संवाद के लम्बित 264 मामलों पर दिनांक–04.11.2017 तक स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

10	कैरी बैग पर प्रतिबंध	प्लास्टिक मुक्त झारखण्ड हेतु 10 निकायों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जो निम्न हैं– (1) बरहड़वा, (2) छतरपुर, (3) रामगढ, (4) बासुकीनाथ, (5) मधुपुर, (6) जामताड़ा, (7) जुगसलाई, (8) विश्रामपुर, (9) गढ़वा एवं (10) पाकुड संयुक्त सचिव द्वारा PWM Rule, 2016 तथा तद्संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) का अनुपालन करने का निदेश दिया गया। विशेष सचिव द्वारा दिनांक–15.11.2017 तक प्लास्टिक कैरीबैग मुक्त निकाय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश पदाधिकारियों को दिया।
11	Water Harvesting	3000 Sq. ft. से अधिक क्षेत्रफल के भवनों में उक्त प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्देश पूर्व में भी दिया गया है तथा पुनः दिया गया तथा दोषी गृह स्वामियों से दण्ड स्वरूप डेढ गुणा गृह कर वसूलने का निदेश दिया गया। तद्नुसार प्रधान सचिव के द्वारा निदेश दिया गया कि निकाय स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिसमें संबंधित नोडल पदाधिकारी भी उपस्थित रहें। संबंधित प्रशाखा–V संचिका उपस्थापित करेंगे।
12	नगर निकायों में सामान्य निर्वाचन	उप सचिव द्वारा निकाय के पदाधिकारियों को अवगत कराया गया कि निर्वाचन आयोग के अनुसार मार्च–अप्रैल, 2018 तक निकायों में आम निर्वाचन सम्पन्न होने की संभावना है। साथ ही, जिला गजट में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को सुनिश्चित करने संबंधी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव ने निकायों से प्राप्त सूचना को चैकस्लिप के रूप में तैयार करने का निदेश दिया।
13	सभी घरों में पाईप से जलापूर्ति	संयुक्त सचिव द्वारा निकाय के सभी घरों में पाईप से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य से पदाधिकारियों को अवगत कराया। संयुक्त सचिव द्वारा होल्डिंग टैक्स वसूली करने वाली एजेंसी द्वारा जलापूर्ति पाईप लाईन का सर्वे करने निदेश दिया गया। तद्नुसार प्रस्ताव विभाग में प्रेषित किया जाए।
14	सैरातों का नगर निकाय में हस्तांतरण/बन्दोबस्ती	निम्न निकायों ने अवगत कराया कि सैरातों का हस्तांतरण नहीं हुआ है– (1) चक्रधरपुर, (2) मानगो, (3) लातेहार, (4) जामताड़ा, (5) मेदिनीनगर, (6) आदित्यपुर, (7) धनबाद, (8) चाईबासा, (9) गोड्डा, (10) गुमला, (11) दुमका, (12) बासुकीनाथ, (13) जुगसलाई, (14) हजारीबाग, (15) पाकुड़ (16) चिरकुण्डा, (17) गिरिडीह, (18) रामगढ़, (19) लोहरदगा, (20) खूंटी, (21) बरहरवा, (22) चाकुलिया, (23) सरायकेला, (24) कपाली, (25) विश्रामपुर, (26) छत्तरपुर, (27) गढ़वा एवं (28) नगर उंटारी प्रधान सचिव ने निदेश दिया गया कि सभी निकाय अपने अधीनस्थ सैरातों को चिन्हित कर उपायुक्त को हस्तांतरण का अनुरोध करेंगे एवं पत्र की प्रति दिनांक–10.11.2017 तक विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6941
09/11/17

		विशेष सचिव द्वारा विभागीय अधिसूचना के आलोक में सैरातों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित संस्थाओं से सैरातों की बंदोबस्ती से प्राप्त राजस्व को संबंधित निकाय में हस्तांतरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
15	अन्यान्य विषय	प्रधान सचिव द्वारा निम्नांकित अन्य निदेश/सूचनाएँ उपस्थित पदाधिकारियों को दी गयी :– • सभी दैनिक एवं अस्थायी कर्मियों के नियमितिकरण हेतु विहित प्रपत्र में सूचना विभाग में उपलब्ध करायें। जिसके लिए प्रमंडलवार तीन अलग–अलग तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं। • वार्ड स्वच्छता योजना एवं वार्ड IEC योजना, तैयार कर क्रियान्वयन करने का निदेश दिया गया। • 11 निकायों में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की NOC प्राप्त भूमि का विकास बस पड़ाव के रूप में PPP मोड पर करने हेतु संबंधित उपायुक्तों से पत्राचार किया जा रहा है, जिसका समन्वयन संबंधित निकाय करेंगे। • Ease of Doing Business (EODB) के अधीन अगले तीन दिनों में प्रत्येक निकायों द्वारा कम–से–कम 05 भवनों का Occupancy Certificate निर्गत किये जायेंगे। उसके पूर्व Completion Certificate प्राप्त कर लिया जाए। • निविदा निष्पादन की निर्धारित तिथि का अनुपालन समयानुसार करने का निर्देश दिया गया। • निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा विकसित करने हेतु पुरस्कार योजना की जानकारी दी गयी। तद्नुसार नीति निर्धारण कर विस्तृत जानकारी संबंधित निकायों को दी जाएगी।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

8.11.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–5/विविध/समीक्षा बैठक/33/2017/न०वि०आ० 6941 राँची, दिनांकः–09/11/17

प्रतिलिपिः–सभी विभागीय पदाधिकारियों/निदेशक, सुडा/निदेशक, नगरीय प्रशासन/परियोजना निदेशक (तकनीकी/प्रशासन/लेखा), जुडको लि०, राँची/सभी नगर निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

8.11.17

सरकार के संयुक्त सचिव।